PARLIAMENTARY BUSINESS
IMPORTANT

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

Sub: 13th Session of 16th Lok Sabha and 244th Session of Rajya Sabha, 2017 - Replies to Starred Questions.

The programme of sittings and allotment of days for answering Questions, both in Lok Sabha and Rajya Sabha during the 13th Session of 16th Lok Sabha and 244th Session of Rajya Sabha-2017, which commences from 15th December, 2017 has been circulated vide Parliament Branch's letter of even number dated 27.11.2017.

2. In order to meet the requirement of briefing schedule and also obtaining approval of the Hon'ble Ministers to the replies to the Parliament Questions, the following time schedule should be strictly adhered to:-

Day of Answering Questions	Day of receipt of Provisional list of admitted Questions	Draft reply and Note for Supplementaries to be submitted to Parl.Br./Hindi(P) Br. latest by	Files of Starred & Unstarred Questions to be submitted to MOS(G) Cell latest by	Hon'ble MR/MOS(G)/ MOS(S)'s Briefings for Starred Questions
Wednesday (Lok Sabha)	**Previous Wednesday**	**Friday (1730 hrs)**	**Starred: Saturday morning** **Unstarred: Monday evening**	**Monday 1000 hrs onwards at a time convenient to Hon'ble MR/MOS(G)/MOS(S).**
Friday (Rajya Sabha)	**Previous Friday**	**Monday (1730 hrs)**	**Starred : Monday evening** **Unstarred: Wednesday evening**	**Wednesday 1000 hrs onwards at a time convenient to Hon'ble MR/MOS(G)/MOS(S).**

3. It may be noted that unless the draft replies including Notes for Supplementaries along with Bullet Points to Starred Questions are submitted as per targets indicated above, it will not be possible to hold the 'Briefing Meetings' with Hon'ble MR as per schedule. It is, therefore, requested that the printed text of the admitted Starred Questions be collected by the concerned Directorate from Parliament Branch from 1100 hrs. onwards on each Friday for Lok Sabha Questions and each Sunday for Rajya Sabha Questions. Thereafter, necessary arrangements may be made to ensure that the complete draft replies along with Note for Supplementaries to the Starred Questions are made available to the Parliament and Hindi (P) Branches as per the targets indicated above.

4. While preparing the 'Note for Supplementaries', the extant instructions, and particularly the following points, be kept in view: -

(i) The total length of a 'Note for Supplementaries' alongwith all its Annexures/ enclosures should in no case exceed 15 pages.

(ii) Information provided in the 'Note for Supplementaries' should be precise and specific.

(iii) The 'Bullet Points' *(on pink paper),* not exceeding 02 pages, should succinctly bring out the points covered in the main reply as well as in the 'Note for Supplementaries'.

....2/-

(iv) The copies of Parliament Questions answered on the same subject during the last 02 years may be placed on file to apprise the Hon'ble Minister(s) of the Ministry's stand in the past. The substantive gist related thereto, not exceeding 02 pages, be given in the Note for Supplementaries'.

(v) Details of reference(s) dealt with/pending, received from the Hon'ble MP(s) on the same subject during the last 02 years, be incorporated in the body of the 'Note for Supplementaries' immediately before the 'Anticipated Supplementary Questions'.

(vi) Copies of all instructions/rules on the subject need not be linked and only the latest/relevant instructions thereon be placed on file.

(vii) In order to avoid any factual inaccuracies and incongruencies in the 'Note for Supplementaries', a thorough reading be done at each level before final submission of the said 'Note' to the Hon'ble Minister(s).

5. It is reiterated that copies of replies to Starred/Unstarred Questions, duly approved by MR/MOS(G)/MOS(S) are required to be sent to Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat by 1500 hrs. on the day preceding the Question day. All concerned officers may, therefore, be directed to strictly adhere to the schedule for submission of files of Parliament Questions. Further, as MR/MOS(G)/MOS(S) office have indicated that files, if submitted late, will not be accepted from Parliament Branch, the concerned Board Members are requested to direct the concerned Directorates to get the approval of Hon'ble MR/ MOS(G)/MOS(S) directly in case of delay.

6. It may also be ensured that the draft replies to Starred Questions and Notes for Supplementaries are prepared on PCs only in the prescribed format and are error-free so that the same can be submitted to Hon'ble MR in a presentable manner.

7. It has also been decided that whenever Parliament Questions are admitted as Starred Questions concerning Public Sector Undertakings under the Ministry of Railways, the concerned Managing Director along with the Board Member, who is also the part time Chairman of the organisation, should be present during the briefing meetings conducted by Hon'ble MR/MOS(G)/MOS(S).

Moneesh 07/12/2017

No.2017/Parl/13/COSH
New Delhi, dated 07.12.2017

Joint Secretary (Parl.)
Railway Board

(i) All Officers & Branches in Ministry of Railways at Rail Bhawan, New Delhi & at Metro Bhawan, Pragati Maidan, New Delhi.

(ii) MDs of Bharat Wagon & Engg. Co. Ltd., Braithwaite Co. Ltd., Burn Standard Co. Ltd., CONCOR, CRIS, DFCCIL, HMRDCL, IRCON, IRCTC, IRFC, IRSDC Ltd., IRWO, KMRCL, KRCL, MRVC, RCIL, RITES, RLDA & RVNL.

Copy to:

1. CRB, FC, ME, MRS, MS, MT, MTR & ED(CC).
2. PS/MR, EDPG/MR, Addl. PS/MR & OSD/MR.
3. PS/ MOS(G), EDPG/MOS(G) ,OSD/MOS(G), Addl. PS/MOS(G) & DD/MOS(G) Sectt.
4. PS/MOS(S), ED (Innovation)/MoS(S), EDPG/MOS(S) & Spl.Officer/MOS(S).
5. ED(IR) & Director (OL).

संसदीय कार्य
महत्वपूर्ण

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

विषयः सोलहवीं लोक सभा का तेरहवां सत्र और राज्य सभा का दो सौ चवालीसवां सत्र, 2017-तारांकित प्रश्नों के उत्तर।

सोलहवीं लोक सभा का तेरहवां सत्र और राज्य सभा का दो सौ चवालीसवां सत्र, 2017 जो 15 दिसम्बर, 2017 से शुरू हो रहा है, के दौरान लोक सभा और राज्य सभा दोनों में, प्रश्नों के उत्तर देने हेतु बैठकों के कार्यक्रम और दिनों के आबंटन के संबंध में परिपत्र संसद शाखा के दिनांक 27.11.2017 के समसंख्यक पत्र द्वारा परिपत्रित किया गया था।

2. ब्रीफिंग कार्यक्रम का अनुसरण करने और संसदीय प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में माननीय मंत्रियों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भी निम्न समय कार्यक्रम का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाएः

उत्तर देने का दिन	स्वीकृत प्रश्न की अनंतिम सूची की प्राप्ति तिथि	मसौदा उत्तर और पूरक प्रश्नों के लिए नोट को संसद शाखा, हिन्दी (संसद) शाखा में प्रस्तुत किया जाना	तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों की फाइलों को रेल राज्य मंत्री (जी) कक्ष में भेजा जाना	तारांकित प्रश्नों के लिए माननीय रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री (जी)/रेल राज्य मंत्री (एस) की ब्रीफिंग
बुधवार (लोक सभा)	**पिछला बुधवार**	**शुक्रवार (1730 बजे)**	**तारांकितः शनिवार सुबह अतारांकितः सोमवार शाम**	**सोमवार 1000 बजे से माननीय रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री (जी)/रेल राज्य मंत्री (एस) की सुविधानुसार किसी भी समय**
शुक्रवार (राज्य सभा)	**पिछला शुक्रवार**	**सोमवार (1730 बजे)**	**तारांकितः सोमवार शाम अतारांकितः बुधवार शाम**	**बुधवार 1000 बजे से माननीय रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री (जी)/रेल राज्य मंत्री (एस) की सुविधानुसार किसी भी समय**

3. यह नोट किया जाए कि जब तक ऊपर दर्शाए गए लक्ष्यों के अनुसार तारांकित प्रश्नों को बुलेट पाइंटों के साथ पूरक प्रश्नों के नोट सहित मसौदा उत्तर को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माननीय रेल मंत्री के साथ 'ब्रीफिंग मीटिंग' आयोजित करना संभव नहीं होगा। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि संबंधित निदेशालय द्वारा प्रस्तुत तारांकित प्रश्नों के प्रिंटशुदा टेक्स्ट को लोक सभा प्रश्नों के लिए प्रत्येक शुक्रवार और राज्य सभा के लिए प्रत्येक रविवार को 1100 बजे से संसद शाखा से प्राप्त करें। तत्पश्चात पर्याप्त प्रबंध किए जाएं कि ऊपर दर्शाए गए लक्ष्यों के अनुसार तारांकित 'प्रश्नों के पूरक प्रश्नों के लिए नोट', सहित पूर्ण मसौदा उत्तर, संसद और हिंदी (संसद) शाखाओं में उपलब्ध कराया जाए।

4. 'पूरक प्रश्नों के लिए नोट' तैयार करते समय, मौजूदा निर्देशों और विशेषकर निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाएः-

I. सभी परिशिष्टों/अनुलग्नकों के साथ 'पूरक प्रश्नों के लिए नोट' की कुल लंबाई किसी भी मामले में 15 पृष्ठ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

II. 'पूरक प्रश्नों के लिए नोट' में उपलब्ध कराई गई सूचना संक्षिप्त और विशिष्ट होनी चाहिए।

..2/-

III. 'बुलेट पाइंट्स' (गुलाबी रंग के कागज पर) 02 पृष्ठ से अधिक नहीं होने चाहिए जिसमें मुख्य उत्तर के साथ-साथ 'पूरक प्रश्नों के लिए नोट' में शामिल मदों का सारगर्भित रूप से उल्लेख होना चाहिए।

IV. गत 02 वर्षों के दौरान उसी विषय में दिए संसदीय प्रश्नों के उत्तर की प्रति फाइल में रखी जानी चाहिए ताकि माननीय मंत्री जी को विगत में मंत्रालय के मत के बारे में अवगत कराया जा सके और उनसें संबंधित तात्विक सार का उल्लेख 'पूरक प्रश्नों के लिए नोट' में किया जाए जिसकी लंबाई अधिकतम 02 पृष्ठों से अधिक की न हों।

V. पिछले दो वर्षों के दौरान माननीय संसद सदस्यों से उसी विषय में प्राप्त निपटान गत संदर्भों लंबित संदर्भों को भी प्रत्याशित पूरक प्रश्नों से ठीक पहले 'पूरक प्रश्नों के लिए नोट' के प्रारूप में शामिल किया जाए।

VI. विषय पर सभी अनुदेशों/नियमों की प्रतिलिपियों को साथ जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है और केवल नवीनतम संगत अनुदेशों को ही फाइल पर रखा जाए।

VII. 'पूरक प्रश्नों के लिए नोट' में तथ्यात्मक रूप से अशुद्धियों एवं विसंगतियों से बचने के लिए माननीय रेल मंत्री(यों) को नोट का अंतिम उत्तर प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रत्येक स्तर पर ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए।

5. यह दोहराया जाता है कि रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री द्वारा यथोचित रूप से अनुमोदित तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों की प्रतिलिपियों को प्रश्न दिवस के पूर्व वाले दिन लोक सभा/राज्य सभा को 1500 बजे तक भेजा जाना अपेक्षित है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों को संसद प्रश्नों की फाइलों को प्रस्तुत किए जाने संबंधी कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने का निदेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया है, यदि फाइलों को देर से प्रस्तुत किया जाता है तो संसद शाखा द्वारा स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, इसलिए संबंधित बोर्ड सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि देरी के मामले में संबंधित निदेशालय को माननीय रेल मंत्री/माननीय रेल राज्य मंत्री से सीधे अनुमोदन प्राप्त करने के निदेश दिए जाए।

6. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि तारांकित प्रश्नों के मसौदा उत्तर और 'पूरक प्रश्नों के लिए नोट' को केवल निर्धारित फार्मेट में पी सी में ही तैयार किया जाए और ये त्रुटि रहित हों ताकि इसे माननीय रेल मंत्री जी को आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत किया जा सके।

7. यह भी विनिश्चय किया गया है कि जब कभी रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित तारांकित प्रश्नों के रूप में संसदीय प्रश्नों को स्वीकृत किया जाता है, बोर्ड सदस्य जो संगठन के अंशकालिक अध्यक्ष भी होते हैं, सहित संबंधित प्रबंध निदेशक को माननीय रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री द्वारा की जा रही ब्रीफिंग के दौरान उपस्थित होना चाहिए।

07/12/2017

संख्या-2017/पार्ल/13/सीओएसएच **संयुक्त सचिव (संसद)**

नई दिल्ली, दिनांक-07.12.2017 **रेलवे बोर्ड**

i. बोर्ड कार्यालय एवं मैट्रो भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली के सभी अधिकारी एवं शाखाएं।

ii. भारत बैगन एंड इंजीनियरी निगम लिमिटेड और ब्रैथवेट निगम लिमिटेड, बर्न स्टैंडर्ड निगम लिमिटेड, कॉनकोर, क्रिस, डीएफसीसीआईएल, एचएमआरडीसीएल, इरकॉन, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आईआरएसडीसी लिमिटेड, इरवो, केएमआरसीएल, केआरसीएल, एमआरवीसी, राइट्स आरसीआईएल, आरएलडीए और आरवीएनएल के प्रबंध निदेशक।

प्रतिलिपिः-

1. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य चल स्टॉक, सदस्य कार्मिक, सदस्य यातायात, सदस्य कर्षण और कार्यपालक निदेशक (समवेत समन्वय)।
2. माननीय रेल मंत्री जी के निजी सचिव एवं अपर निजी सचिव, का.नि.ज.शि./रेल मंत्री तथा विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री।
3. निजी सचिव/रेल राज्य मंत्री (जी), का.नि.ज.शि./रेल राज्य मंत्री (जी), विशेष कार्य अधिकारी/रेल राज्य मंत्री (जी), अपर निजी सचिव//रेल राज्य मंत्री (जी) तथा उप निदेशक/रेल राज्य मंत्री (जी) सचिवालय।
4. निजी सचिव/रेल राज्य मंत्री (एस), कार्य. निदेशक (इनोवैशन)/रेल राज्य मंत्री (एस), का.नि.ज.शि./रेल राज्य मंत्री (एस) तथा विशेष अधिकारी/रेल राज्य मंत्री (एस)।
5. कार्यपालक निदेशक (औ.सं.) और निदेशक (राजभाषा)।
